नगर पंचायत सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2010 से 31.3.2012

भाग—एक

1 **(क) प्रारम्भिक**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1—376 / 81—फिन(एल0ए0)खण्ड—IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत सुजानपुर के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत्त रहेः—

प्रधान	नाम	अवधि
1	श्री मनोज ठाकुर	1.4.2010 से 31.3.2012

सचिव	नाम	अवधि
1	श्री जगपाल सिंह	1.4.2010 से 24.10.2011
2	श्री वी0के0 शर्मा	8.11.2011 से 31.3.2012

(ख) नगर पंचायत सुजानपुर के लेखा अवधि 4/2010 से 3/2012 तक में पाई गई गम्भीर आपत्तियों का संक्षिप्त सारः–

क्रम संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष	5	20.71
2	दुकानों व स्टालों के किराये की वसूली शेष	6	5.54
3	पशुवध शुल्क की वसूली शेष	7	0.24
4	गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	13 (क, ख, ग)	0.16
5	शापिंग कॉम्पलैक्स निर्माण कार्य में संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान	14	0.29

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट (क) में दर्शायी गई है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर पंचायत सुजानपुर के अवधि 04/2010 से 03/2012 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री अजीत सिंह अनुभाग अधिकारी व श्री विद्या सागर लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22.11.2012 से 7.1.2013 तक सुजानपुर में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु निम्न लिखित मासों का चयन किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2010–11	5/2010	10/2010
2011–12	3/2012	3/2012

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन को नगर पंचायत सुजानपुर के सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा। स्थानीय लेखा–परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व विस्तृत जॉच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

अवधि 04/2010 से 03/2012 तक के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹25600/–किया गया। इस राशि को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2, दिनांक 7.1.2013 के द्वारा सचिव, नगर पंचायत सुजानपुर से रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9" के भेजने का अनुरोध किया है।

4 (क) वित्तीय स्थिति

नगर पंचायत सुजानपुर की अवधि 4/2010 से 3/2012 की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट (ख) पर दिया गया है।

(ख) अनुदानः–

नगर पंचायत को वर्ष 2010–11 व 2011–12 में स्वीकृत प्राप्त हुई अनुदान तथा उसमें से व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट (ख) पर दिया गया है।

5 गृह करः–

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2012 को ₹2071603/–की राशि गृह कर के रूप में वसूली हेतु शेष पड़ी थी जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट संख्या (ग) में दिया गया है। अतः इस गृह कर की बकाया राशि को वसूल करने हेतु शीध्रता से नियमानुसार आवश्यक उचित कार्रवाई की जाए तथा देरी से गृहकर जमा करवाने के लिए दण्ड अधिभार की वसूली करनी भी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 किरायाः–

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर दुकानों व स्टालों आदि का निर्माण किया गया है जो कि संस्था को अब किराये के रूप में आय का मुख्य स्त्रोत बन गया है। संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना जो कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट संख्या (ग) में दी गई है के अवलोकन में पाया गया कि संस्था द्वारा वर्ष 2010–11 में किराये की कुल वसूली योग्य राशि की लगभग 48**%** व वर्ष 2011–12 में किराये की कुल वसूली योग्य राशि की लगभग 43**%** की ही वसूली की गई थी जिस के परिणामस्वरूप दिनांक 31.3.2012 को कुल ₹554854/–की राशि बकाया के रूप में वसूली योग्य शेष थी जिससे प्रतीत होता है कि संस्था ने किराये की वसूली हेतु अंकेक्षण अवधि में कोई प्रभावशाली कार्रवाई नहीं की गई थी जिसका औचित्य स्पष्ट करें तथा अब बकाया की राशि की वसूली हेतु नियमानुसार कठोर एवं प्रभावशाली पग उठाये जाऐं तथा आवश्यकता अनुसार किराये की बकाया शेष राशि की वसूली को सुनिश्चित करने हेतु कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 पशु वध शुल्कः–

नगर पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 175/08 दिनांक 24.10.08 द्वारा मीट मार्किट में कटने वाले पशुओं पर ₹25/–प्रति नग की दर से पशु वध शुल्क वसूलने का प्रावधान है मगर संस्था के पशु वधशाला रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2012 को ₹24700/–की राशि पशु वध शुल्क के रूप में बकाया शेष थी जिस का औचित्य स्पष्ट करें तथा अब बकाया शेष राशि की वसूली हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

क्रम	नाम	राशि
1	श्री शादी लाल	4725
2	श्री विनोद कुमार	16475
3	श्री विशाल कुमार	3500
	कुल योग	**24700**

8 मनोरंजन करः–

हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0–डी0 (1)–9/94 खण्ड–4 दिनांक 13.12.2000 के अनुसार निर्धारित दर से मनोरंजन कर की वसूली नहीं की गई थी जबकि संस्था की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से उपरोक्त अधिसूचना के दृष्टिगत मनोरंजन कर की वसूली करना अपेक्षित थी। अतः मनोरंजन कर की वसूली नियमानुसार न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा उपरोक्त अधिसूचना में दिए गए दिशा निर्देशा अनुसार मनोरंजन कर की वसूली करना सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 स्थापनाः–

(क) माह 10/2010 में श्रीमती सीनत देवी, बेलदार को ₹224/–का भुगतान यात्रा भत्ता बिलों के रूप में किया गया। यात्रा भत्ता बिल माह 9/2009 से सम्बन्धित थे तथा इन बिलों पर कार्यालय मे ंप्रस्तुत करने की तिथि का कोई विवरण न होने के कारण बिल कालातीत होने की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत खाते में जमा करवायी जाए।

(ख) मास 10/2010 में वाऊचर संख्या 293 द्वारा श्री कमल नैण डोगरा, लिपिक को अवधि 16.8.2010 से 30.9.2010 तक यात्रा भत्ता दावे के रूप में किये गये भुगतान का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नलिखित दिवसों को कर्मचारी का मुख्यालय नगर पंचायत सुजानपुर से बाहर ठहराव मात्र छः घण्टे था जिसके लिए यात्रा भत्ता नियमों के नियम–"SR-51" के अनुसार दैनिक भत्ता देय नहीं था जबकि इन दिवसों के लिए कर्मचारी को दैनिक भत्ते का 70**%** दिया गया है जिस का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹170/–के अनियमित भुगतान की वसूली करके नगर पंचायत खाते में जमा करवायी जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

दिनांक	गंतव्य स्थान	मुख्ख्यालय से बाहर रहने का समय	दिया गया दैनिक भत्ता 70% of 48
13.9.2010	सुजानपुर से हमीरपुर व वापसी	10:30 AM से 4:30 PM	34
15.9.2010	–यथोपरि–	11 AM से 5 PM	34
17.9.2010	–यथोपरि–	11 AM से 5 PM	34
21.9.2010	–यथोपरि–	11 AM से 5 PM	34
28.9.2010	–यथोपरि–	10 AM से 4 PM	34
		कुल राशि	**₹170**

10 गलत दर निर्धारण के कारण संविदाकार को ₹5495/–का अधिक भुगतानः–

वाऊचर संख्या 317 दिनांक 16.10.2010

कार्य का नामः– Drain cum Path from Nardeshwar Tample to Highway

संविदाकार का नामः– श्री विकास सूद

माप पुस्तिका संख्याः– 35 पृष्ठ 43 से 47

(क) उपरोक्त कार्य की मद संख्याः 2 (Demotition below ground level unreinforced mat) की माप पुस्तिका में दर्शायी गई पैमाइस का अवलोकन पर अंकेक्षण में पाया गया कि संविदाकार द्वारा इस मद की 11.51 घन मीटर मात्रा निष्पादित की गई जिस में से 15एमएम मोटाई से अधिक (.60+1.89)=2.49 घन मीटर ही निष्पादित हुई थी। शेष 11.51–2.49=9.02 घन मीटर 15एमएम से कम थी। दर अनुसूची –1999 में दर्शायी गई दरों के अनुसार संहिता क्रम 20010300, 15एमएम से अधिक Thickness हेतु ₹426/–प्रति घन मीटर थी तथा 15एमएम या इससे कम Thickness के लिए ₹213/–प्रति घन मीटर दरें निर्धारित की गई थी। अतः संविदाकार को इस मद के लिए ₹426/–प्रतिघन मीटर दर देने का औचित्य स्पष्ट किया जाए जबकि इस श्रेणी की मात्र 2.49 घन मीटर मात्रा ही निष्पादित हुई थी अन्यथा 11.51–2.49=9.02x(426–213)=1921.26+67**%**(SR दरो पर देय प्रीमियम)= ₹3208/–के अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए।

(ख) कार्य की मद संख्या:4 (Providing and laying CC 1:2:4 in 40mm graded stone) हेतु SR-1999 की संहिता संख्या 0911010 ए के अनुसार दर ₹1670/– प्रतिघन मीटर थी जबकि 20एमए graded stone हेतु संहिता संख्या 0920010 ए दर 1708.40 प्रतिघन मीटर लगा कर संविदाकार को इस मद की कुल निष्पादित मात्रा 18.53 घन मीटर के निष्पादन पर (1708.40–1670X18.53+67**%** प्रीमियम) ₹1188/–का अधिक भुगतान किया गया। अतः देय दरों से अधिक दर पर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत खातों में जमा करवायी जाए।

(ग) मद संख्या 3 (Providing from work with steel plate welded in vertical surface) की गलत गणना करके 113.15 वर्ग मीटर के स्थान पर 115.70 वर्ग मीटर का भुगतान ₹80.70 प्रति वर्ग मीटर की दर से करके ₹344/–का अधिक भुगतान किया गया जिस का विवरण निम्न प्रकार से है:–

115.70–113.15=2.55X8070+67**%**=₹344/–

(घ) उपरोक्त कार्य की मद संख्या 7 (Carriage of Material (Earth work) from road side up to 3 Kilo meter) के लिए दर ₹95.90 प्रति घन मीटर लगाई गई है जबकि SR-1999 के अध्याय VI में संहिता संख्या Code No. 0601010200 के अनुसार 3 कि0मी0 के लिए यह दर ₹80.74 थी। इस प्रकार गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप संविदाकार द्वारा इस मद की कुल निष्पादित मात्रा 29.81 घन मीटर पर 95.90–80.74=15.16X29.81+67**%**=754.85 or ₹755/–का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली करके नगर पंचायत खाते में जमा करवायी जाए तथा अनुपालना से यथाशीध्र इस विभाग को अवगत करवाए।

11 स्त्रोत पर काटे गये करों को फर्म को वापस करने बारेः–

वाऊचर संख्याः 315 दिनांक 15.10.10 द्वारा मैं0 कोली इलैक्ट्रिक कम्पनी होशियारपुर (पंजाब) के बिल से काटे गये आयकर ₹6596/– व बिकी कर ₹6596/–कुल राशि ₹13192/–को सरकारी कोष में जमा न करवा कर कम्पनी को उनके द्वारा नगर पंचायत सुजानपुर को लिखे पत्र के आधार पर कि "We are submitting the due Tax to the concerned deptt" वापस लौटाया गया। जब कि नियमानुसार फर्म के बिल से काटे गये करों की राशि को

सरकारी कोष में जमा करवाने के उपरान्त कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाना था ताकि उपरोक्त सन्दर्भित बिल से सम्बन्धित देय कर यदि फर्म द्वारा जमा करवा दिये थे तो उस राशि का Refund कम्पनी को मिल पाता।

दूसरे विकल्प में स्त्रोत पर काटे गये करों की वापसी करने से पूर्ण कम्पनी से इन करों के सरकारी खाते में जमा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित था। प्रमाण पत्र प्राप्त न करने के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कम्पनी द्वारा उक्त राशि को सरकारी खातों में जमा करवाया जा चुका था या नही। अतः फर्म से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए अन्यथा राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके सरकारी खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

12 संविदाकार का नामः– श्री प्यार चन्द

कार्य का नामः– Maintenanve of Kali Mata Mandir Road No. 5

माप पुस्तिका संख्याः– 38 पृष्ठ 1 से 4

वाऊचर संख्या 545 माह 3/2012

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य में प्रयोग होने वाले सीमेन्ट की आपूर्ति नगर पंचायत द्वारा की जानी थी लेकिन संविदाकार द्वारा उपरोक्त बिल में निष्पादित सीमेन्ट मदों का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस कार्य में माप पुस्तिका के अनुसार दर्शायी गई कार्य मात्रा के दृष्टिगत 367 बोरी सीमेन्ट की खपत होनी चाहिये थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

मद सं0	मद नाम	निष्पादित मात्रा	दर प्रति घन मीटर	बोरियों की सं0
3	सीसी 1:6:12	22.06 घन मीटर	2.20	49
4	सीसी 1:2:4	44.13 घन मीटर	6.40	282
6	सीसी 1:5:10	13.80 घन मीटर	2.60	36
			कुल बोरियॉ	**367**

जबकि उपरोक्त के विरूद्ध नगर पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार 260 बोरी सीमेन्ट जारी किया गयाः–

माह	जारी किया गया सीमेन्ट
11/2011	80 बोरी
12/2011	120 बोरी
12/2011	60 बोरी
	260 बोरी

नगर पंचायत से प्राप्त 260 बोरी से अधिक प्रयोग किये गये सीमेन्ट की 107 बोरी वाले संविदाकार द्वारा न तो खुले बाजार से सीमेन्ट खरीदने की अनुमति ली गई थी और न ही 107 बोरी सीमेन्ट खुले बाजार से खरीदने का प्रमाण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया जिसके अभाव में यह प्रतीत होता है कि बिल में दर्शायी गई सीमेन्ट मदों की मात्रा को वास्तविक निष्पादत से अधिक दर्शाकर 107 बोरी सीमेन्ट के कार्य का अधिक भुगतान किया गया है या कार्य निम्न गुणवता व विशिष्टता का निष्पादित हुआ प्रतीत होता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

13 गलत गणना व स्टोर से जारी सीमेन्ट की कम खपत की वसूली बाजार दर पर न करने के कारण ₹16579/–का अधिक भुगतानः–

वाऊचर संख्या 321 माह 10/2010

कार्य का नामः– C/O Room at Shamshanghat at Sujanpur

संविदकार का नामः– श्री प्यार चन्द

माप पुस्तिका संख्याः– 35 पृष्ठ 48 से 51

कार्य आबंटन पत्र संख्या M/C/Work/10-846-50 दिनांक 9.6.2010

(क) उपरोक्त कार्य की मद संख्या 9 (Providing & laying C.C. 1:2:4 for roofing) की गलत गणना के कारण निम्न विवरणानुसार ₹12169/–का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस का औचित्य माप पुस्तिका में दर्शायी गई पैमाइस के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत खाते में जमा करवायी जाए।

माप पुस्तिका में आंकलित मात्रा	वास्तविक निष्पादित की गई मात्रा	अन्तर	जिस दर से भुगतान किया गया	कुल अधिक भुगतान
4.00 घन मीटर	.98 घन मीटर	3.02 घन मीटर	₹1751.90 प्रति घन मीटर	5291+138% प्रीमियम ₹12169

(ख) उक्त कार्य की मद संख्या 6 (Brick work using common burntday Building bricks in cement mortal (1:6) 2nd class के भुगतान हेतु दर ₹1303.40 प्रति घन मीटर लगाई गई है जबकि H.P.P.W.D. के SR-1999 की संहिता संख्या 10210902 में दर्शायी गई दर ₹1286.20 घन मीटर लगाई जानी अपेक्षित थी। इस मद की गलत दर लगाने के कारण संविदाकार को ₹490/–का अधिक भुगतान किया गया जिस का विवरण निम्न प्रकार से है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर पंचायत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

मद की निष्पादित मात्रा	जिस दर से भुगतान किया गया	देय दर	अन्तर	अधिक भुगतान
10.53 घन मीटर	₹1306.40	1286.20	20.20	213+130% प्रीमियम ₹490

(ग) उपरोक्त कार्य हेतु जारी सीमेन्ट की खपत का अवलोकन करने पर पाया गया कि संविदाकार को सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 12 के अनुसार 95 बोरी जारी की गई जिन की वसूली बिल से ₹200/–बोरी की दर से कर ली गई। मगर निम्नविवरणानुसार कार्य में सीमेन्ट मदों के निष्पादन पर मात्र 60 बोरी की औचित्यता बनती थी।

कार्य में निष्पादित सीमेन्ट मदों का विवरणः–

मद का नाम	मात्रा	खपत दर	बोरियो की सं0
सीसी 1:6:12	4.36	2.20	9.59
सीसी 1:4:8	2.64	3.40	8.98

ब्रिक वर्क 1:6	10.53	1.20	12.64
सीसी 1:2:4	4.00	6.40	25.60
			56.80
	+5% वेस्टेज		2.85
			59.65 or 60 बोरी

14 वाउचर संख्या 323, दिनांक 21.10.2010

कार्य का नामः— C/O Shoping Complex at sujanpur Tihra

संविदाकार का नामः— Him Techno Engineers

कार्य आंबटन पत्र संख्याः— 79 दिनांक 21.01.2010

माप पुस्तिका संख्याः— 35 (1) (5) पृष्ठ संख्या 8 से 13

उपरोक्त कार्य की मद संख्या 7 (Prividing and fixing M.S. tor Steel, fixing Bending & Binding) में 10एमएम सीरये की मात्रा की गलत गणना करके 966.52 कि0ग्रा0 दर्शायी गई है जबकि नियमानुसार यह मात्रा 213.38 कि0ग्रा0 बनती थी। अतः 966.52—213.38=752.64 कि0ग्रा0 सरिये का ₹39/—कि0ग्रा0 की दर से ₹29353/—का अधिक भुगतान किया गया है जिस का औचित्य माप पुस्तिका में दर्शायी गई मात्रा के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

15 नगर पंचायत सुजानपुर द्वारा अपने क्षेत्र में निर्मित घरों व दुकानों का क्रमांकन करने हेतु बनाई गई हाऊस नम्बर प्लेटों के निविदाओं का अवलोकन करने पर अंकेक्षण में पाया गया कि श्री राकेश चन्देल, मेन बाजार पाहड़ा तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा की दर प्लेटों पर हाऊस संख्या लिखाना व उन्हें स्थापित करने की लागत सहित ₹28/—प्रति प्लेट थी तथा यह दर न्यूनतम होने के कारण संविदाकार को 3300 प्लेटों की आपूर्ति करने आदेश दिया गया जिसकी जॉच के दौरान निम्नलिखित त्रुटियॉ पाई गई।

(क) संविदाकार द्वारा माह 3/2012 में 3300 प्लेटों की आपूर्ति की गई जिन में न तो हाऊस नम्बर अंकित थे और न ही इन्हें घरों व दुकानों में स्थापित किया और न ही इन्हें घरों व

दुकानों में स्थापित किया गया था तथा निविदाओं में अग्रिम राशि का भुगतान का प्रावधान न होने पर संविदाकार को ₹50000/–का भुगतान चैक संख्या 508886 के द्वारा माह 3/2012 में किया गया। उपरोक्त कार्य को अंकेक्षण की समाप्ति यानि 1/2013 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। अतः संविदाकार को अग्रिम राशि भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ब्याज के रूप में हुई हानि की संविदाकार के अन्तिम बिल से कटौती करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) संविदाकार को किये गये भुगतान से आयकर व बिक्रीकर की कटौती नहीं की गई थी जिसे अन्तिम भुगतान बिल से कटौती करके सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया ।

(ग) नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार दिनांक 31.3.2012 तक पंचायत क्षेत्र में निर्मित घरों एवं दुकानों कुल संख्या 2064 थी जिन के विरूद्ध नगर पंचायत द्वारा 3300 हाऊस नम्बर प्लेटें बनाई गई अर्थात 1236 प्लेटें अधिक बनवाई गई इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा बिल के अन्तिम भुगतान को नगर पंचायत में नम्बर प्लेटों की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार प्रति वन्धित किया जाए।

16 सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर के रख–रखाव बारेः–

नगर पंचायत सुजानपुर के कार्य क्षेत्र में में होने वाले निर्माण कार्यों के लिए सीमेन्ट की आपूर्ति पंचायत द्वारा अपने स्टोर से की जाती है तथा संस्था द्वारा बनाऐ गये सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस में सूचनाओं के अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि किस कार्य के लिए किस संविदाकार को कितना सीमेन्ट जारी किया गया और जारी सीमेन्ट की वसूली किस वाऊचर संख्या व दिनांक को की गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि इस महत्वपूर्ण अभिलेख का रख–रखाव नियमानुसार उचित ढ़ंग से किया जाना सुनिचित किया जाए।

17 संस्था के सफाई से सम्बन्धित स्टॉक–रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 13.9.2011 को झाडुओं का प्रारम्भिक शेष 109 कि0ग्रा0 दर्शाया गया था और दिनांक 13.9.2011 को ही 32कि0ग्रा0 झाडू सफाई हेतु जारी कर दिए गए थे परिणामस्वरूप कुल 77 कि0ग्रा0 झाडू शेष बचे थे मगर रजिस्टर में दिनांक 13.9.2011 को झाडुओं का अन्तिम शेष कुल 71 कि0ग्रा0 दर्शाया गया तथा इसी अन्तिम शेष को आगे ले जाया गया इस प्रकार स्टॉक में कुल 6 कि0ग्रा0 झाडू कम दर्शाये गए थे जिसका औचित्य स्पष्ट करें तथा कम दर्शाये गए झाडुओं की वसूली

बाजार भाव पर करना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

18 रददी की नीलामीः–

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान नियमित रूप से समाचार पत्रों की खरीद की जा रही है परन्तु रददी की नीलामी नहीं की गई स्टॉक में पड़ी रददी की नीलामी नियमानुसार की जानी सुनिश्चित करें व कृत कार्रवाई की अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

19 भण्डार का सत्यापनः–

संस्था ने अंकेक्षण अवधि के दौरान भण्डार मे ंपड़े सामान का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नियमानुसार नहीं किया गया था जिस का औचित्य स्पष्ट करें तथा अब नियमानुसार भण्डार का सत्यापन करवाया जाए तथा भविष्य मे ंप्रत्येक वर्ष के अन्त में भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा इनवेंटरी रजिस्टर का रख–रखाव नही किया गया था जिस के बिना कितने भण्डार–रजिस्टरों का अनुरक्षण किया गया था की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उपरोक्त प्रकरणों में अपेक्षित कार्रवाही की जाए तथा अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

20 **लधु आपत्ति विवरणिकाः–** इसे अलग से जारी नहीं किया है।

21 **निष्कर्षः–** लेखाओं के रख–रखाव में नितान्त सुधार व कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है। नगर पंचायत प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु विशेष ध्यान दें।

हस्ता–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)(5)(58)/76-4109-10 दिनांक,20.06.2013 शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

पंजीकृतः–1. सचिव, नगर पंचायत सुजानपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक मास के भीतर प्रेषित करें।

2. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002,

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

परिशिष्ट (क)

नगर पंचायत सुजानपुर तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 4/2010 से 3/2012 तक के अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदनों के गत अंकेक्षण अनिर्णीत पैरों की वर्तमान स्थितिः–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/81 से 3/82

1	पैरा–5 (ए)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/86

1	पैरा–5 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/88

1	पैरा–5 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (सी)	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

1	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/95

1	पैरा–13 (3)	अनिर्णीत
2	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/2004

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की राशि चैक संख्या 012592 दिनांक 8.11. 2005 के द्वारा भेज दी गई है)
2	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत	
3	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत	
4	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत	
5	पैरा–7 (1) (क) व (ख)	निर्णीत	(निम्नलिखित वसूली कर ली गई है)
	नाम	रसीद सं0	राशि
1	श्री विनोद कुमार	372/4 1.1.2013	₹942
2	श्री विनोद कुमार	373/4 4.1.2013	₹40
3	श्री किशोरी लाल	369/4 24.11.12	₹978
4	श्री विजय कुमार	371/4 24.11.12	₹82
5	श्री नथु राम	370/4 24.11.12	₹40
6	पैरा–8	अनिर्णीत	
7	पैरा–9 (i)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012 के पैरा संख्या में दी गई है।)
8	पैरा–9 (ii)	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)

9	पैरा—10 (i)	अनिर्णीत
10	पैरा—10 (ii)	अनिर्णीत
11	पैरा—10 (iii)	अनिर्णीत
12	पैरा—10 (iv)	अनिर्णीत
13	पैरा—10 (v)	अनिर्णीत
14	पैरा—10 (vi) (क से ङ)	अनिर्णीत
15	पैरा—10 (vii)	अनिर्णीत
16	पैरा—10 (viii)	अनिर्णीत
17	पैरा—10 (ix) (क से च)	अनिर्णीत
18	पैरा—10 (x) (क से ग)	अनिर्णीत
19	पैरा—10 (xi)	अनिर्णीत
20	पैरा—10 (xii) (क से घ)	अनिर्णीत
21	पैरा—10 (xiii) (क से घ)	अनिर्णीत
22	पैरा—10 (xiv)	अनिर्णीत
23	पैरा—10 (xv)	अनिर्णीत
24	पैरा—10 (xvi)	अनिर्णीत
25	पैरा—11 (i)	अनिर्णीत
26	पैरा—11 (ii)	अनिर्णीत
27	पैरा—11 (iii)	अनिर्णीत
28	पैरा—11 (iv)	अनिर्णीत
29	पैरा—11 (vi)	अनिर्णीत
30	पैरा—11 (vii)	अनिर्णीत
31	पैरा—11 (viii)	अनिर्णीत
32	पैरा—11 (ix)	अनिर्णीत
33	पैरा—12 (1)	अनिर्णीत
34	पैरा—12 (2)	अनिर्णीत
35	पैरा—12 (3)	अनिर्णीत
36	पैरा—12 (4) (क)	अनिर्णीत
37	पैरा—12 (4) (ख)	अनिर्णीत

38	पैरा–12 (4) (ग)	अनिर्णीत	
39	पैरा–12 (4) (घ)	अनिर्णीत	
40	पैरा–12 (5)	अनिर्णीत	
41	पैरा–13 (1)	अनिर्णीत	
42	पैरा–13 (2)	अनिर्णीत	
43	पैरा–14	अनिर्णीत	
44	पैरा–15	अनिर्णीत	
45	पैरा–16	अनिर्णीत	
46	पैरा–17	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण व जी–8 संख्या 47/29 दिनांक 5.1.2013 के द्वारा ₹280 की वसूली कर ली गई)
47	पैरा–18	अनिर्णीत	
48	पैरा–19 (1)	अनिर्णीत	
49	पैरा–19 (2)	अनिर्णीत	
50	पैरा–20	अनिर्णीत	

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2007

	1	पैरा–1	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की राशि भेज दी गई है)
	2	पैरा–2 (क, ख, ग)	निर्णीत	(किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है)
	3	पैरा–3	निर्णीत	(–यथोपरि–)
गृहकर	4	पैरा–4 (क)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/10 से 3/12 के पैरा संख्या 5 में दी गई है।)
	5	पैरा–4 (ख)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/10 से 3/12 के पैरा संख्या 6 में दी गई है।)

6	पैरा–4 (ग)	निर्णीत	(₹25000/–की वसूली रसीद सं0 38/60 दिनांक 18.3.2011 के द्वारा कर ली गई)
7	पैरा–5	निर्णीत	(किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है)
8	पैरा–6 (क)	निर्णीत	(₹65 की वसूली रसीद संख्या 24/22 दिनांक 13.8.12 के द्वारा कर ली गई)
9	पैरा–6 (ख)	निर्णीत	(₹65 रसीद संख्या 23/22 दिनांक 13.8.12)
10	पैरा–6 (ग)	निर्णीत	(ए0पी0आर0 दिखा दी गई)
11	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	
12	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत	
14	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत	
15	पैरा–7 (ङ)	अनिर्णीत	
16	पैरा–7 (च)	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
17	पैरा–8	निर्णीत	(किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है)
18	पैरा–9	निर्णीत	(–यथोपरि–)

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

1	पैरा–7	निर्णीत	(₹406 ब्याज के रूप में बैंक से प्राप्त कर लिये हैं)
2	पैरा–9 (ग) (1)	निर्णीत	(पैरे का समायोजन अगले पैरे में कर लिया है)
3	पैरा–9 (ग) (2)	निर्णीत	(₹2200 की वसूली वाऊचर सं0 78 मास 5/01 से कर ली गई है)
4	पैरा–9 (छ)	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)

5	पैरा—9 (झ)	अनिर्णीत	
6	पैरा—9 (ञ)	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है)
7	पैरा—9 (ट)	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
8	पैरा—10 (क)	निर्णीत	(—यथोपरि—)
9	पैरा—10 (ख)	निर्णीत	(—यथोपरि—)
10	पैरा—10 (च)	निर्णीत	(—यथोपरि—)
11	पैरा—10 (छ)	निर्णीत	(न0प0 द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
12	पैरा—10 (ज) (1)	निर्णीत	(—यथोपरि—)
13	पैरा—10 (ज) (2)	निर्णीत	(—यथोपरि—)
14	पैरा—11 (क)	अनिर्णीत	
15	पैरा—11 (ख) (1)	अनिर्णीत	
16	पैरा—11 (ख) (2)	अनिर्णीत	
17	पैरा—11 (ख) (3)	अनिर्णीत	
18	पैरा—11 (ख) (4)	अनिर्णीत	
19	पैरा—11 (ख) (5)	अनिर्णीत	
20	पैरा—11 (ग) (1)	निर्णीत	(भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है)
21	पैरा—11 (ग) (2)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है)
22	पैरा—11 (ग) (3)	अनिर्णीत	
23	पैरा—11 (ग) (4)	अनिर्णीत	
24	पैरा—11 (घ) (1)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है)
25	पैरा—11 (घ) (2)	अनिर्णीत	
26	पैरा—11 (घ) (3)	अनिर्णीत	
27	पैरा—11 (घ) (4)	निर्णीत	(भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है)
28	पैरा—11 (ङ)	अनिर्णीत	
29	पैरा—11 (च)	अनिर्णीत	
30	पैरा—11 (झ) (1)	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)

31	पैरा–11 (झ) (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
32	पैरा–11 (झ) (3)	अनिर्णीत	
33	पैरा–11 (झ) (4)	अनिर्णीत	
34	पैरा–11 (ञ)	अनिर्णीत	
35	पैरा–11 (ट)	निर्णीत	(भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है)
36	पैरा–12 (क)	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
37	पैरा–12 (ख)	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
38	पैरा–12 (ग)	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
39	पैरा–13 (क)	निर्णीत	(₹32360/–की राशि P&GF से निकाल कर दिनांक 14.9.2010 को न0प0 निधि मे ंजमा करवा दी गई)
40	पैरा–13 (ख)	निर्णीत	(₹30915/– –यथोपरि–)
41	पैरा–14	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
42	पैरा–15	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

	1	पैरा–4	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की राशि भेज दी जा चुकी है)
	2	पैरा–5	निर्णीत	(अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है)
	3	पैरा–6	निर्णीत	(वसूली कर ली गई है)
	4	पैरा–7	अनिर्णीत	
	5	पैरा–8	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
	6	पैरा–9	निर्णीत	(–यथोपरि–)
गृहकर	7	पैरा–10	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/10 से 3/12 के पैरा 5 में दी गई है)
दुकानों का किराया	8	पैरा–11	निर्णीत	(–यथोपरि– पैरा सं0 6)

	9	पैरा–12	अनिर्णीत	
	10	पैरा–13	अनिर्णीत	
	11	पैरा–14	अनिर्णीत	
	12	पैरा–15	अनिर्णीत	
Fee of Slaughter house	13	पैरा–16	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/10 से 3/12 के पैरा में दी गई है)
	14	पैरा–17	अनिर्णीत	
	15	पैरा–18	अनिर्णीत	
	16	पैरा–19	अनिर्णीत	
	17	पैरा–20	निर्णीत	(क्रम संख्या 2 में दर्शाये गये कर्मचारी की वसूली ₹593/–रसीद संख्या 22/22 दिनांक 13.8.12 के द्वारा कर ली गई है तथा शेष क्रम सं0 1 व 3 के सन्दर्भ में नगर पंचायत द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त किया गया)
	18	पैरा–21	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
	19	पैरा–22	निर्णीत	(नगर पंचायत द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
	20	पैरा–23	अनिर्णीत	
	21	पैरा–24	अनिर्णीत	
	22	पैरा–25	अनिर्णीत	
	23	पैरा–26	अनिर्णीत	
	24	पैरा–27	निर्णीत	(₹297/–की वसूली रसीद संख्या 4/29 दिनांक 19.12.2012 के द्वारा कर ली गई)
	25	पैरा–28	अनिर्णीत	
	26	पैरा–28 (1)	अनिर्णीत	
	27	पैरा–29	अनिर्णीत	
	28	पैरा–30	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है।)

29 पैरा–31 अनिर्णीत